उत्पीड़न और कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा

अपने अधिकारों को जानें

उत्पीड़न क्या है?

उत्पीड़न में शामिल हैं:

- वे आपत्तिजनक व्यवहार जो रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर कुछ संरक्षित विशेषताओं वाले लोगों के साथ किए जाते हैं।
- ऐसे व्यवहार का उद्देश्य किसी संरक्षित विशेषता की वजह से असुविधा या अपमान करना है।
- संरक्षित विशेषता के आधार पर, किसी ऐसे समूह जिससे पीड़ित व्यक्ति संबद्ध है को नापसंद करना या नफ़रत की कोई भी अभिव्यक्ति।

संरक्षित विशेषताओं में शामिल हैं:

- आयु
- जाति
- धर्म
- रंग
- राष्ट्रीय मूल
- यौन अभिविन्यास
- सैनिक स्थिति
- लिंग
- अक्षमता
- वैवाहिक स्थिति
- घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति
- लैंगिक पहचान
- आपराधिक इतिहास

कार्यस्थल पर या उससे संबद्ध उत्पीड़न कानून के खिलाफ है। कानून और राज्य की नीति के अनुसार आपके नियोक्ता को संरक्षित विशेषताओं के आधार पर, उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने की ज़रूरत है।

यौन उत्पीड़न क्या है?

किसी व्यक्ति के लिए मौखिक या शारीरिक तौर पर की गई कोई भी अनचाही चीज़, स्पष्ट यौन या अपमानजनक कथन या यौन भेदभावपूर्ण टिप्पणी जो कि उनके लिए अपमानजनक है या जो उनके कार्य में बाधा डालती है। इनमें शामिल हैं:

- लिंग को रूढ़िबद्ध रूप से देखना
- लैंगिक पहचान या ट्रांसजेंडर होने की वजह से किया जाने वाला भेदभाव
- गर्भावस्था की वजह से किया जाने वाला भेदभाव

यौन उत्पीड़न में ये निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- अनचाहे यौन प्रस्ताव, यौन संबधी चीज़ों को करने का अनुरोध और यौन प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न
- जब कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति यौन संबंधों के बदले नौकरी के लाभों की पेशकश करता है, जैसे कि यह कहना या इस बात का संकेत देना, "यदि आपने मुझसे यौन संबंध बनाएं, तो मेरी ओर से आपको पदोन्नति मिलेगी," या "यदि आप मुझे खुद को छूने नहीं देंगी, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा"

उत्पीड़न तब गैरकानूनी बन जाता है, जब यह काफ़ी बार किया गया हो या गंभीर हो जिस वजह से यह कार्य वातावरण को शत्रुतापूर्ण या आक्रामक बना दे। यह तब भी गैरकानूनी बन जाता है, जब इसकी वजह से प्रतिकूल रोजगार निर्णय लिए जाते है (जैसे कि पीड़ित व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना या उसका पद नीचे कर देना)।

पीड़ित व्यक्ति या उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति किसी भी लिंग का हो सकता है या वे एक ही लिंग के हो सकते हैं। उत्पीड़न करने वाला पीड़ित का पर्यवेक्षक, किसी अन्य क्षेत्र का पर्यवेक्षक, कोई सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नियोक्ता का कर्मचारी नहीं है, जैसे कि क्लाइंट या ग्राहक।

कार्यस्थल हिंसा क्या है?

कार्यस्थल हिंसा शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, डराना-धमकाना या अन्य धमकी भरा व्यवहार का कोई भी कार्य या धमकी है जो कार्य स्थल पर होता है। इसमें डराने-धमकाने और मौखिक दुर्व्यवहार से लेकर, शारीरिक हमले और यहां तक कि हत्या तक शामिल है। इसमें कर्मचारी, क्लाइंट, ग्राहक तथा आगंतुक शामिल हो सकते हैं।

श्रम विभाग कार्यस्थल पर उत्पीड़न या हिंसा की रिपोर्ट करने में श्रमिकों के लिए किस तरह से मददगार हो सकता है?

श्रम विभाग श्रमिकों को NYS मानव अधिकार विभाग या फ़ेडरल या स्थानीय समकक्ष से शिकायत दर्ज करने में मदद कर सकता है। श्रम विभाग एक आघात-सूचित, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए प्रयास करता है। यह हमारी नीति है कि पीड़ितों को यह निर्णय लेने की अनुमति दी जाए कि वे शिकायत को आगे ले जाना चाहेंगे या नहीं।

श्रम विभाग पीड़ितों के लिए सेवाओं और अपराधों पर मुकदमा चलाने में किस तरह से मददगार हो सकता है?

श्रम विभाग निम्नलिखित चीज़ें कर सकता है:

- सहायक सेवाओं के लिए रेफ़रल तैयार करना
- कार्यकर्ता को नियोक्ता के साथ समस्याओं पर चर्चा करने में मदद करना, यदि कार्यकर्ता ऐसा करना चुनता है
- शिकायत प्रपत्र तैयार करने और उसे सही प्रवर्तन एजेंसियों को भेजने में मदद करना
- रेफ़रल तैयार करना और किए गए अपराधों पर आपराधिक प्रतिक्रिया में मदद करना
- जहां उपयुक्त हो, वहां अप्रवासन आंकलन और U या T Visa प्रमाणन के लिए कानूनी सेवा एजेंसियों को रेफरल प्रदान करना
- वर्तमान या चल रहे श्रम विवाद में शामिल श्रमिकों के लिए हित का विवरण प्रदान करना

U या T VISA क्या है?

U Visa विशिष्ट अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मानवतावादी सहायता Visa हैं। T Visa मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है। जब न्यूयॉर्क में एक अप्रवासी कार्यकर्ता कार्यस्थल में अपराध का शिकार हुआ हो, तो NYS DOL प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करता है।

U या T Visa निम्नलिखित लाभों की पेशकश करते हैं:

- चार वर्ष तक के लिए वैध स्थिति
- रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़
- कुछ सार्वजनिक लाभ के लिए पात्रता
- तीन वर्ष के बाद वैध स्थायी स्थिति के लिए पात्रता
- पारिवारिक सदस्यों के लिए व्युत्पन्न स्थिति

स्टेटमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट क्या है?

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की अभियोजन विवेक नीति के तहत, कुछ व्यक्ति या उनके वकील श्रम विभाग से "स्टेटमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट" का अनुरोध कर सकते हैं।

यदि आप एक वर्तमान और चल रही न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ लेबर (NYSDOL) जांच में शामिल हैं और संभावित आप्रवासन-आधारित प्रतिशोध के कारण जांच में सहयोग करने से डरते हैं, तो आपका अटॉर्नी या वकील स्टेटमेंट ऑफ़ इंटरेरेस्ट (SOI) का अनुरोध कर सकता है। SOI, NYSDOL का एक पत्र है जो आपके मामले की जांच करने के लिए हमारी एजेंसियों के अधिकार का वर्णन करता है, श्रमिकों के प्रतिशोध-आधारित भय का वर्णन करता है और यह सुनिश्चित करने में NYSDOL का हित है कि कार्यकर्ता आप्रवासन-आधारित प्रतिशोध के डर को समाप्त करके हमारी एजेंसी की जांच में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

NYSDOL अनुरोध की समीक्षा करेगा और यदि अनुमोदित हो, तो अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) को एक SOI पत्र जारी करेगा। एक बार जब DHS द्वारा SOI को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपके अटॉर्नी या वकील स्थगित कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। DHS, SOI के साथ आपके आवेदन की समीक्षा करेगा और आपके विशिष्ट मामले पर अपना निर्धारण करेगा। NYSDOL, DHS समीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं है।

अभियोजन विवेकाधिकार क्या है?

यदि अप्रवासी श्रमिक NYSDOL जांच में सहयोग देते हैं, अप्रवासी श्रमिकों को निर्वासन और कार्य प्राधिकरण से अस्थायी सुरक्षा देने के लिए अभियोजन विवेकाधिकार एक नई और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है।

अभियोजन विवेकाधिकार कैसे काम करता है?

यदि आप वर्तमान या मौजूदा समय में चालू NYSDOL जांच में शामिल हैं और संभावित आप्रवासन-आधारित प्रतिशोध की वजह से जांच में सहयोग देने से डर रहे हैं, तो आपके अटॉर्नी या वकील स्टेटमेंट ऑफ़ इंटरेस्ट (SOI) पत्र का अनुरोध कर सकता है। NYSDOL अनुरोध की समीक्षा करेगा और यदि अनुमोदित हो, तो अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) को एक SOI पत्र जारी करेगा। एक बार जब DHS द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, आपके अटॉर्नी या वकील स्थगित कार्रवाई के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नियोक्ताओं के लिए:

कानून के तहत, अब न्ययॉर्क राज्य के प्रत्येक नियोक्ता के लिए श्रम कानून के खंड 201-g के तहत यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति स्थापित करना आवश्यक है। श्रम विभाग ने मानवाधिकार विभाग के परामर्श से एक मॉडल यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति स्थापित की है। मॉडल नीति, एक मॉडल प्रशिक्षण और एक नमूना पोस्टर यहां उपलब्ध हैं:
ny.gov/programs/combating-sexual-harassment-workplace

उपलब्ध सेवाओं और सहायता के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए

अनुपालन और शिक्षा प्रभाग को इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें **877-466-9757** या **DOCE@labor.ny.gov.** पर ईमेल करें।

न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग एक समान अवसर प्रदान करने वाला नियोक्ता/कार्यक्रम है।
विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुरोध पर और नि:शुल्क सहायक सहायता और सेवाएं उपलब्ध हैं TTY/TDD 711 या 1-800-662-1220 (अंग्रेज़ी) / 1-877-662-4886.